BA (Hons.) PART –II, Paper- III

डॉ0 गौतम कुमार

अतिथि शिक्षक

राजनीति विज्ञान विभाग

आचार्य नरेन्द्र देव महाविद्यालय, शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर

राज्य मन्त्रिपरिषद् (State Council of Ministers)

राज्य मन्त्रिपरिषद् की रचना एवं गठन – भारतीय संविधान के अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल, स्वविवेक तथा मन्त्रिपरिषद् की सहायता एवं सलाह के अनुसार कार्य करेगा। मुख्यमंत्री, मंत्रियों के नामों तथा उसके विभागों की सूची राज्यपाल को देता है। मुख्यमंत्री राज्यपाल के माध्यम से मंत्रिपरिषद् का निर्माण करता है। 91वें संवैधानिक संशोधन(2003) के अनुसार यह व्यवस्था की गई है कि राज्य में मुख्यमंत्री समेत राज्य मंत्रिपरिषद् के सदस्यों की संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। वैसे राज्य जिसमें विधानसभा सदस्यों की संख्या कम होगी उसमें मुख्यमंत्री समेत 12 मंत्री हो सकते हैं।

मंत्रियों के चयन में मुख्यमंत्री को राज्य के सभी क्षेत्रों एवं वर्गो को मंत्रिमण्डल में प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। मन्त्रिपरिषद् में मुख्यमंत्री प्रभावशाली सदस्यों एवं अपने विश्वासी सदस्यों को ही स्थान देते हैं। मन्त्रिपरिषद् में वैसे लोगों को शामिल किया जाता है जिसमें प्रशासनिक योग्यता हो और कानून निर्माण तथा प्रशासन के दायित्वों को पूरा कर सके एवं विधानसभा में स्थिति का सामना कर सके।

मंत्रियों की योग्यताएँ एवं कार्यकाल – मंत्रिपरिषद् के सभी सदस्यों के लिए आवश्यक है कि वह विधानमण्डल के किसी भी सदन का सदस्य हो। यदि कोई व्यक्ति, जो विधानमण्डल का सदस्य नहीं है और मंत्री पद पर नियुक्त हो गया है तो वैसी स्थिति में 6

महीने के भीतर विधानमण्डल की सदस्यता ग्रहण करना आवश्यक हो जाता है अन्यथा उसे अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ता है।

मंत्रिपरिषद् का कार्यकाल विधानसभा के विश्वास पर निर्भर करता है। सामान्य रूप में मंत्रिपरिषद् का कार्यकाल विधानसभा के कार्यकाल के समान ही होता है अर्थात् 5 वर्ष। व्यतिगत रूप में किसी मंत्री का कार्यकाल मुख्यमंत्री के विश्वास पर निर्भर करता है। पद ग्रहण करने के पूर्व मंत्रियों को राज्यपाल के समक्ष पद के कर्त्तव्यपालन एवं गोपनीयता की शपथ लेनी पड़ती है।

मंत्रियों का कार्य विभाजन – राज्यपाल, मुख्यमंत्री के परामर्श से मंत्रियों का कार्य विभाजन का कार्य करते हैं। मंत्री के अधिकार के अन्तर्गत प्रायः एक ही प्रमुख विभाग होते हैं, किन्तु कभी–कभी एक से अधिक विभाग भी रहते हैं। मंत्रियों के अतिरिक्त प्रत्येक विभाग में सचिव, संयुक्त सचिव, उपसचिव आदि स्थायी पदाधिकारी होते हैं।

मंत्रियों की श्रेणियॉ – राज्य मन्त्रिपरिषद् में मंत्रियों की तीन श्रेणियॉ होती है। कैबिनेट मंत्री या मन्त्रिमण्डल के सदस्य, राज्यमंत्री और उपमंत्री। इसमें कैबिनेट के सदस्य सबसे अधिक महत्वपूर्ण होते हैं और कैबिनेट के द्वारा ही सामूहिक रूप से शासन की नीति का निर्धारण किया जाता है। दूसरे स्तर पर राज्यमंत्री होते हैं। कुछ राज्यमंत्रियों को स्वतंत्र रूप से किसी विभाग के प्रधान की स्थिति प्राप्त हो जाती है और कुछ राज्यमंत्री कैबिनेट मंत्री के कार्य में हाथ बॅटाते हैं। राज्यमंत्री के बाद उपमंत्री आते हैं जो कैबिनेट मंत्री के सहायक के रूप में कार्य करते हैं। मंत्रियों की इन श्रेणियों के आधार पर ही मंत्रिपरिषद् और मंत्रिमण्डल में अन्तर समझा जा सकता है। प्रथम स्तर के मंत्रियों को सामूहिक रूप से मंत्रिमण्डल या कैबिनेट कहा जाता है और तीनों ही स्तरों के मंत्रियों को सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद् कहते हैं।

मंत्रियो के वेतन तथा भत्ते – मंत्रियों के वेतन तथा भत्ते राज्य के विधानमण्डल द्वारा निश्चित किये जाते हैं। मंत्रियों को वेतन के अतिरिक्त अन्य भत्ते, आवास सुविधा एवं अन्य सुविधाऍ प्राप्त होती है।

मन्त्रिपरिषद् की कार्यप्रणाली – मन्त्रिमण्डल, मंत्रिपरिषद् की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है जो मंत्रिपरिषद् के सभी महत्वपूर्ण मामलों में निर्णय लेता है। मंत्रिमण्डल की बैठक प्रायः सप्ताह में दो बार होती है। वैसे मुख्यमंत्री जब चाहे उसकी बैठक बुला सकता है। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करता है। मंत्रिमण्डल के कार्यवाही के दो प्रमुख नियम हैं सामूहिक उत्तरदायित्व तथा गोपनीयता। मंत्रिमण्डल के बैठकों में सामान्यतः सभी निर्णय एकमत से लिए जाते है। मतभेद होने की स्थिति में पारस्परिक विचार–विमर्श के आधार पर निर्णय लिया जाता है और यह निर्णय सभी मंत्रियों का संयुक्त निर्णय माना जाता है। यदि कोई मंत्री इसे स्वीकार करने में स्वंय को असमर्थ पाता है तो उसे त्याग पत्र देना पड़ता है। मंत्रिपरिषद् के प्रत्येक सदस्य द्वारा गोपनीयता की शपथ ली जाती है और मंत्रिमण्डल की कार्यवाही तथा निर्णय गुप्त रखे जाते हैं। यदि कोई मंत्री गोपनीयता को भंग करता है तो उसे त्याग पत्र देना पड़ता है। बजट के संबंध में इसका कड़ाई से पालन होता है।

मंत्रिपरिषद् के कार्य एवं शक्तियॉ –

1. मंत्रिपरिषद् का सबसे महत्वपूर्ण कार्य शासन की नीति का निर्धारण करना है। मंत्रिपरिषद् ही राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करती है। मंत्रिपरिषद् न केवल नीति का निर्धारण करती है वरन् उसे क्रियान्वित भी कराती है।
2. राज्यपाल, शासन के विभिन्न पदों पर नियुक्ति मंत्रिपरिषद् की सलाह पर ही करता है। जैसे – महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य तथा अन्य अधिकारियों की नियुक्ति करता है।
3. विधानमण्डल में प्रस्तुत होने वाले विधेयक एवं उनके क्रम का निर्धारण, मंत्रिपरिषद् द्वारा ही किया जाता है। प्रायः अधिकांश विधेयक शासन की ओर से प्रस्तुत किए जाते हैं और मंत्रिपरिषद् बहुमत के आधार पर उसे स्वीकृत करती है।
4. प्रत्येक वर्ष विधानसभा में वित्तीय वर्ष आरम्भ होने के पूर्व वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट प्रस्तुत किये जाते हैं लेकिन यह बजट मन्त्रिपरिषद् द्वारा निश्चित की गई नीति के आधार पर तैयार किया जाता है। बजट पारित कराने का उत्तरदायित्व भी मन्त्रिपरिषद् का ही होता है।

5. मंत्रिपरिषद् विधानमण्डल में शासन का प्रतिनिधित्व करती है और विधानसभा के विभिन्न प्रश्नों यथा– तारांकित, अतारांकित, अल्पसूचित प्रश्न का उत्तर देती है। मंत्रिपरिषद् ही सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है।
6. मंत्रिपरिषद् राज्य की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक समस्याओं का हल निकालती है।